रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239252
CG-DL-E-30092022-239252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022/आश्विन 7, 1944
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2022/ASVINA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी (एसएसआर) 06/2022]

विषय: चीन जन.गण. से "सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (जियोलाइट 4ए)" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत।

1. **फा. सं. 7/14/2022-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके बाद इसे "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए (जियोलाइट 4ए) (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद " के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया है ।

2. अधिनियम की धारा 9क, (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले हटा न लिया जाए, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर पर प्रभाव समाप्त होगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा किए जाने की जरूरत है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत प्रमाण सहित अनुरोध किए जाने के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

क. <u>पिछली जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 6/14/2017-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की पुष्टि की गई थी, जिसे दिनांक 13 दिसंबर, 2018 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 57/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत कार्यान्वित किया गया था । ये शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे और 12 दिसंबर, 2023को समाप्त होना तय किया गया था ।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, सिंथेटिक जियोलाइट 4क (डिटरजेंट ग्रेड) है । विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो विगत में आयोजित जांच में निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार था :-

> *"6. विचाराधीन उत्पाद सिंथेटिक जियोलाइट 4ए (डिटरजेंट ग्रेड) है । जियोलाइट सुस्पष्ट संरचनाओं वाले माइक्रो पोरस क्रिस्टलीय ठोस होते हैं । आम तौर पर, उनमें उनकी बनावट और केटायन में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन शामिल होती है । जल और/अथवा अन्य मॉलिक्यूल उनके छिद्रों (पोर्स) के भीतर होते हैं । वे प्राकृतिक रूप से खनिजों के रूप में भी होते हैं और विश्व के अनेक भागों में व्यापक रूप से खनन किए जाते हैं । अन्य सिंथेटिक होते हैं और विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से निर्मित किए जाते हैं । सामान्य फार्मूला Nax[(AlO2)x(SiO2)y].zH2O के रूप में दिया गया है ।*
>
> *"7. विचाराधीन उत्पाद एक डिटरजेंट निर्माणकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो मुख्यत: पानी के एक मृदुकर्ता (सॉफ्टनर) के रूप में होता है, जिससे पानी मृदु हो जाता है और इससे उतने ही धुलाई प्रयास से कम साबुन की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैल्शियम आयनों को साफ करने में साबुन बर्बाद नहीं होता ।*

5. वर्तमान याचिका सूर्यास्त समीक्षा जांच के लिए है, स्थापित न्यायशास्त्र और प्राधिकरण की पिछली प्रथाओं के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद में वर्तमान में एक समर्पित कोड नहीं है। यह सीमा शुल्क उप-शीर्षक 28421000 के तहत अध्याय 28 के अंतर्गत आता है। हालांकि, आयात विभिन्न विभिन्न कोडों के अंतर्गत आते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाणित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय हैं । दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है । इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच के लिए है । समान वस्तु के मामले की, प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में भी जांच की जा चुकी है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं ।

घ. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

7. यह आवेदन मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा दाखिल किया गया है । आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादक के अलावा केवल एक अन्य उत्पादक नामत: मेसर्स कैमिकल इंडिया है । आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वह भारत में संबद्ध देश से निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध है ।

8. इसे देखते हुए, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दाखिल किया गया है और नियम 5(3) के संदर्भ में आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है, यद्यपि, निर्णायक समीक्षा जांच आवेदन में नियम 5(3) लागू नहीं होता और, आवेदक अर्थात मैसर्स गुजरात क्रेडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करता है।

ङ. <u>संबद्ध देश</u>

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है ।

च. <u>पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना</u>

10. आवेदकों ने चीन से कोई वर्तमान पाटन नहीं होने का दावा किया है और यह प्रस्तुत किया है कि पाटन की समाप्ति के मामले में चीन से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है । आवेदकों ने उस कीमत के आधार पर पाटन की संभावना का दावा किया है जिस पर चीन से वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में माल का निर्यात किया गया है, जैसा कि विचाराधीन उत्पाद के लिए द्वितीयक स्रोत सूचना में बताया गया है।

11. चीनी उत्पादकों की महत्वपूर्ण और बढ़ती क्षमताओं की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है जो भारतीय बाजार पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त होगा, चीनी उत्पादकों का उच्च निर्यात अभिविन्यास, तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं की डंपिंग, एंटी डंपिंग शुल्कों की समाप्ति, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और भारतीय उद्योग की निरंतर भेद्यता की स्थिति में आयातों के संभावित दमनकारी प्रभाव और घरेलू उद्योग को संभावित क्षति।

12. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देश से पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना दर्शाती है।

छ. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत</u>

13. आवेदक के विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृति होने की संभावना को साबित करते हुए और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को लगाए रखना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।

ज. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की है । क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2018-19,2019 -20,2020 - 21और जांच की अवधि शामिल होगी । जांच की अवधि के बाद के डेटा की भी जांच की जाए ताकि पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण हो सके ।

झ. प्रक्रिया

15. वर्तमान जांच में दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 06/14/2017-डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांचों के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं। नियमावली के नियम 6,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,16 ,17 , 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में समुचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

16. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों , jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv12-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फामेर्ट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

17. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के लिए प्रासंगिक अपना अनुरोध ऊपर उल्लिखित ईमेल पते पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से कर सकता है।

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. समय सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से (30) दिनों के भीतर ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in पर पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त माना जाएगा जिस दिन इसे नामित प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या इसे प्रेषित किया गया था। निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

24. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

25. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

26. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

27. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

28. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

29. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

30. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे ।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

31. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं । इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल को रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं ।

ढ. <u>असहयोग</u>

32. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

[Case No. AD (SSR)-06/2022]

Subject : Initiation of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of "Synthetic Grade zeolite 4A" (Zeolite 4A) from China PR.

1. **F. No. 7/14/2022-DGTR-**Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for sunset review investigation of antidumping duty on imports of "Synthetic Grade Zeolite 4A" (Zeolite 4A) (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or the 'product under consideration') originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the 'subject country').

2. In terms of Section 9A, (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background of the Previous Investigation

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide notification No. 6/14/2017-DGAD on 2nd January 2018. In the same matter, the final finding was issued vide notification No. 06/14/2017-DGAD dated 29th October 2018 confirming imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country, which were implemented vide Customs Notification No. 57/2018-Customs (ADD) dated 13th December 2018. The said duties were levied for a period of 5 years and are set to expire on 12th December 2023.

B. Product under consideration

4. The product under consideration in the present investigation is Synthetic Zeolite 4A (Detergent Grade). The scope of the product under consideration is the same as defined in the previously conducted investigation, which was as follows:

"6. The PUC is Synthetic Zeolite 4A (Detergent Grade). Zeolites are micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminum and oxygen in their framework and cat-ions, water and/or other molecules within their pores. They also occur naturally as minerals, and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic, and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula is given as Nax[(AlO2)x(SiO2)y].zH2O.

"7. The PUC functions as a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions"

5. The present petition is for sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the product under consideration remains the same as defined in the original final finding notification. The product under consideration currently does not have a dedicated code. It falls under Chapter 28 under customs sub-heading 28421000. However, the imports come under various different codes. The customs classifications is only indicative and not binding on the scope of the present investigation.

C. Like Article

6. The applicant has claimed that there is no significant difference in the product produced by the domestic industry and the one exported from the subject country. The product produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and are used by consumers interchangeably. Further, the present application is for sunset review investigation for the continued imposition of anti-dumping duty. The issue of like article has been examined by the Authority in the previous investigation as well. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration produced and imported from the subject country.

D. Domestic Industry and Standing

7. The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL). The applicant has claimed that there is only one other Indian producer of the subject goods namely M/s Chemical India. The applicant has further certified that it has not imported the subject goods nor is related to the exporters from the subject country or importers in India.

8. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' and satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3), even though the requirements of Rule 5(3) are not applicable in sunset review application, and the applicant i.e., M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL) constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

E. Subject Country

9. The country involved in the present sunset review investigation is China PR.

F. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

10. The applicant has claimed no current dumping from China and has submitted that dumping is likely to recur from China in case of cessation of ADD. The applicant has claimed likelihood of dumping on the basis of the price at which goods have been exported from China to various countries globally, as reported in secondary sources information for the product under consideration.

11. There is a prima facie evidence of likelihood of dumping, and injury to the domestic industry on account of presence of significant and growing capacities of Chinese producers which would be sufficient to capture the Indian market, high export orientation of Chinese producers, dumping of the subject goods into third countries, likely suppressing impact of imports and likely injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties, price attractiveness of Indian market, and continued vulnerability of the Indian industry.

12. The information provided by the applicant, prima facie, shows likelihood of dumping and injury to domestic industry in case of cessation of the anti-dumping duty from the subject country.

G. Initiation of sunset review investigation

13. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/

recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (lB) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

H. Period of Investigation (POI)

14. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022. The injury investigation period will cover the periods 2018-19, 2019–20, 2020-21 and the period of investigation. The data beyond period of investigation may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

I. Procedure

15. The present review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 06/14/2017-DGAD dated 29th October 2018. The provisions of Rules 6,7,8.9, 10. 11, 16, 17,18,19 and 20 of the Rules shall be mutatis mutandis applicable in this review.

J. Submission of information

16. In view of the special circumstances arising out of COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, and adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

17. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers, and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned above.

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

20. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority https://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

K. Time Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

23. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule

7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

24. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

25. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

26. The confidential version shall contain all the information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

27. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information famished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

28. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

29. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

30. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. <u>Inspection of Public File</u>

31. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. <u>Non-cooperation</u>

32. In case where an interested party refuses access to or otherwise, does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA